प्रश्नास्पद प्रलेख एवं उनका परीक्षण

—एस.सी. कम्बोज एवं आर.बी. सिंह

मनुष्य जाति आरम्भ से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये विभिन्न साधनों का प्रयोग करती आ रही है। इस प्रक्रिया में प्रारम्भिक शिलालेख एवं भोज पत्र से लेकर अब तक कई परिवर्तन हुये हैं। आधुनिक युग में प्रलेख प्रायः सभी के जीवन का अंग हो गये हैं। शिक्षित अथवा अशिक्षित सभी अपनी शिक्षा, सम्पत्ति या अन्य मामलों से सम्बन्धित प्रलेखों की सुरक्षा का पूरा ध्यान देते हैं। दहेज हत्या, जाली लाटरी टिकट, दस्तावेजों की जालसाजी, आत्महत्या, अपहरण, गुमनाम शिकायती पत्र, धमकी भरे पत्र, बैंक ड्राफ्ट में हेर-फेर आदि जैसे अपराधों में प्रलेखों के परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी प्रलेख के सम्बन्ध में कोई शंका अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रलेखों को विवादास्पद प्रलेख कहा जाता है। अधिकतर विवादास्पद प्रलेख हाथ से लिखे होते हैं, अथवा टाइप किये होते हैं। कभी-कभी प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा छपे लेख भी विवादित होते हैं। आमतौर पर विवादित प्रलेखों का परीक्षण हस्तलेखों का मिलान एवं पहचान; टंकित लेख, छपे हुये लेख, मुहर, सील इत्यादि का मिलान एवं पहचान; विभिन्न प्रकार की जालसाजी की पुष्टि; लेखन सामग्री जैसे कागज, पैन, स्याही, पेन्सिल आदि का परीक्षण; मिटाये गये, काटे गये, परिवर्तित, अथवा मूल लेख में बाद में जोड़े गये लेखों का परीक्षण; जले हुये प्रलेखों का परीक्षण; अदृश्य लेखों का परीक्षण प्रलेखों के लिखने/टाइप करने की अनुमानित अवधि; लिखते समय पेन के दबाव के कारण नीचे के पन्ने पर बने निशानों का पुनरुद्धार; किसी कागज के दो या अधिक टुकड़ों के फटे किनारों का मिलान; इत्यादि के लिये किया जाता है।

हस्तलेख परीक्षण

उपर्युक्त समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण हस्तलेख के मिलान से सम्बन्धित होता है। बचपन में लिखना सीखने के समय से ही हस्तलेख में व्यक्तिगत विशेषतायें विकसित होने लगती हैं। बच्चे अक्षरों एवं संख्याओं आदि की मानक बनावटों को अपने ढंग से बनाते हैं। लगातार लिखते-लिखते प्रत्येक व्यक्ति की लिखावट में व्यक्तिगत विशेषतायें आ जाती हैं। कालान्तर में यह व्यक्तिगत विशेषतायें परिपक्व होकर उस व्यक्ति की अपनी लेखन विशिष्टताओं का रूप धारण कर लेती हैं। किसी व्यक्ति की लिखावट उसकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अभिरूचि

आदि से भी प्रभावित होती है। किसी भी व्यक्ति का हस्तलेख परिपक्वता के पश्चात् उसका अचेतन एवं स्थायी स्वभाव बन जाता है। यह प्राकृतिक सत्य है कि विभिन्न शारीरिक आकृतियों से मिलकर बना किसी भी व्यक्ति का स्वरुप अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है और उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। उसी प्रकार हस्तलेख भी विभिन्न अक्षरों, मात्राओं आदि की आकृतियों एवं उनके आपसी मेल से बनता है तथा किसी भी व्यक्ति का हस्तलेख अन्य व्यक्तियों के हस्तलेख से भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर एवं मात्रा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से बनाई जाती हैं। हस्तलेख मुख्यतया व्यक्ति के मानसिक बोध एवं उसके हाथ एवं अंगुलियों की मांसपेशियों के आपसी सामंजस्य पर आधारित होता है। यह दोनों बातें एक साथ या अलग-अलग भी किन्हीं दो व्यक्तियों में एक समान नहीं होतीं। अतः दो व्यक्तियों का हस्तलेख भी एक समान नहीं होता है। लिखावट की परिपक्वता के बाद किसी के भी हस्तलेख में कोई आमूल परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक अवस्था, जिससे कि हस्तलेख प्रभावित होता है, में कोई बदलाव न आ जाये। लिखावट में प्राकृतिक रुपान्तर का होना स्वाभाविक है क्योंकि हाथ मशीन की तरह कार्य न कर, लचीली मांसपेशियों के अनुरुप हरकत करता है। इन प्राकृतिक रुपान्तरों की अपनी सीमायें होती हैं। प्रत्येक लेखक के लिये यह सीमाएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

मिलान द्वारा हस्तलेख की पहचान की विधि प्राचीनकाल से ही प्रचलित है। हस्तलेख मिलान की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के ज्ञात लेख में विद्यमान व्यक्तिगत

विशिष्टताओं का अध्ययन कर उन्हें विवादित लेख में ढूंढा जाता है । यदि उक्त विशिष्टतायें विवादित लेख में भी प्रचुर मात्रा में पायी जाएं तो यह सिद्ध होता है कि यह लेख भी उसी लेखक द्वारा लिखा गया है । व्यक्तिगत विशिष्टताओं में उल्लेखनीय भिन्नतायें पाये जाने पर यह सिद्ध होता है कि विवादित लेख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। व्यक्तिगत विशिष्टताओं की खोज मुख्यतया अक्षरों एवं मात्राओं की मानक बनावट से हटकर लिखी गई बनावटें एवं उनका आपसी संगम तथा हस्तलेख में आसानी से न दृष्टिगोचर होने वाली सूक्ष्म एवं बार-बार आने वाली विशिष्टताओं पर आधारित होता है । किसी किसी की लिखावट में विचित्र एवं विलक्षण घुमावदार बनावटें भी मिलती हैं ।

हस्तलेख परीक्षण में मुख्य कार्य विवादित लेखों का अधिकृत ज्ञात (नमूना) लेखों से मिलान करना होता है । नमूना लेखों को प्राप्त करने के लिए कई सावधानियां आवश्यक होती हैं । नमूना लेखों को प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व यह अपरिहार्य है कि विवादित प्रलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिया जाये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के नमूना लेख प्राप्त किये जाने हैं । प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि किसी एक लिपि में लिखे गये लेख को अन्य लिपि में लिखे गये लेख से मिलान नहीं किया जाता है । नमूना लेखों को प्राप्त करते समय यह बात स्मरणीय है कि पारस्परिक मिलान केवल 'समान से समान' का ही किया जाता है । अतः सबसे अच्छा नमूना लेख वही होगा जो विवादित लेख के प्रकार का हो, अर्थात समकालीन हो तथा यथासंभव उन्हीं परिस्थितियों में लिखा गया हो जिनमें विवादित लेख लिखा गया हो ।

नमूना लेख दो प्रकार के होते हैं : १- निवेदित नमूना लेख; २- दैनिक कार्य संचालन के दौरान लिखे गये नमूना लेख ।

निवेदित नमूना लेख :- अपराध घटित होने के उपरान्त विवादास्पद लेखों के सम्बन्ध में संदिग्ध व्यक्ति/व्यक्तियों से निवेदन कर जो लेख प्राप्त किये जाते हैं, उन्हें निवेदित नमूना लेख कहा जाता है। कुछ मामलों में निवेदित नमूना लेख लेखक के लेखन की विशेषताओं का ठीक ठीक चित्रण नहीं करता है, क्योकि लेखक को यह जानकारी होती है कि नमूना लेख मिलान हेतु लिये जा रहे हैं एवं वह अपनी लिखावट बिगाड़ कर लिखने का प्रयास करता है ।

निवेदित नमूना लेख लेने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये :

१. निवेदित नमूना लेख के लिये संदिग्ध व्यक्ति को ऐसे परिवेश में रखना चाहिये कि उसे किसी प्रकार की घबराहट आदि न हो और वह अपने को पूर्णतया सामान्य महसूस करे ।

२. निवेदित लेख लिखने हेतु उसी प्रकार की लेखन सामग्री (कागज, सादा कागज, लाइनदार, छपा हुआ फार्म/चेक या लिफाफा आदि, लेखनी - फाउन्टेन पैन, बाल पैन, पेन्सिल आदि) उपलब्ध करानी चाहिये जो प्रश्नास्पद लेख लिखने के लिये प्रयुक्त की गई हो ।

३. यदि नमूना लेख अंग्रेजी में लिखने हो तो लेखक को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि अक्षरों को मिलाकर लिखना है, या अलग-अलग ''कैपिटल लेटर्स'' में लिखना है ।

४. संदिग्ध व्यक्ति को इमला (डिक्टेशन) बोलकर नमूना लेख लिखवाना चाहिये । उसे मूल प्रलेख नहीं दिखाना चाहिये । लिखवाते समय जब वह एक पन्ना लिख चुके तो उस पन्ने को सामने से हटाकर उसे दूसरा पन्ना लिखने के लिये दिया जाना चाहिये । दो पन्नों के लिखने के बीच में कुछ समयान्तर दिया जाना उपयुक्त होगा ।

एक से अधिक बैठकों में लिखे जाने से लेखक जानबूझकर बिगाड़कर एक ही प्रकार का लेख नहीं लिख सकेगा । अतएव यह प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है, एवं यथासंभव इसे अपनाना चाहिये ।

उपर्युक्तानुसार पांच, छः पन्नों में नमूना लेख प्राप्त करना चाहिये ।

५. विवादित हस्ताक्षरों के मिलान के लिये संदिग्ध व्यक्ति के नमूना लेख उसी स्थिति में सहायक होते हैं, जब विवादित हस्ताक्षर आम लेख की तरह लिखा गया हो क्योंकि तभी उनका पारस्परिक मिलान किया जाना संभव है । विशेष बनावट के विवादित हस्ताक्षर का आम लेख से

हस्तलेख का मिलान

विवादित हस्तलेख | नमूना हस्तलेख

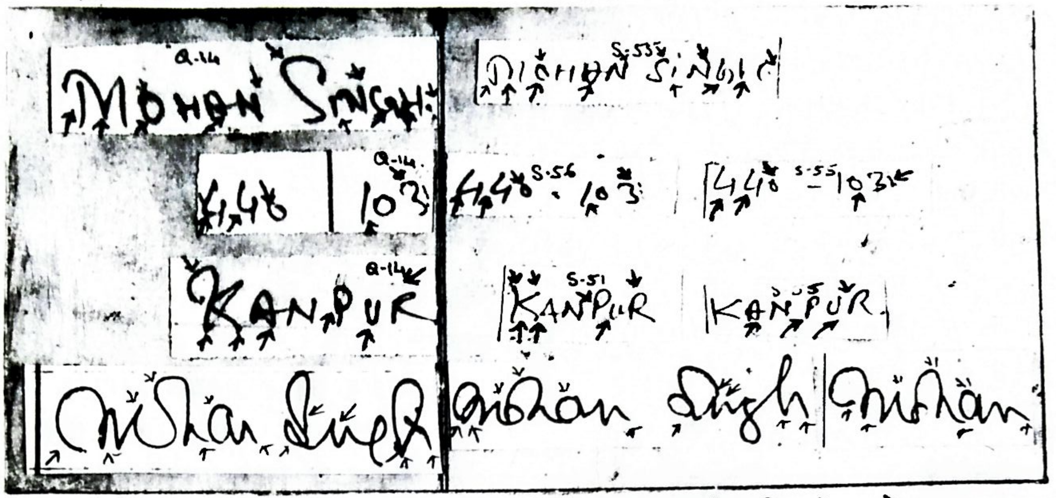

हस्तलेख मिलान के सम्बन्ध में तैयार किया गया चार्ट। विवादित लेख एवं नमूना लेखों के फोटोप्रिन्ट्स में से समान शब्द एवं शब्दों के समूह काट कर आमने सामने चिपकाए गए हैं। इन शब्दों/शब्दों के समूह में विद्यमान समानताएँ तीराङ्कित करके दर्शाई गई हैं।

मिलान करना संभव नहीं है क्योंकि मिलान 'समान का समान के साथ' ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर बनाये गये हैं, उसके नमूना हस्ताक्षर भी साथ भेजना चाहिये। नमूना हस्ताक्षर ३-४ पन्नों पर कुछ समय का अन्तर देकर कराना चाहिये। प्रत्येक पन्ने पर १०-१२ नमूना हस्ताक्षर होना चाहिये।

दैनिक कार्य संचालन के दौरान लिखे गये लेख : संदिग्ध व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अपराध घटित होने से पूर्व दैनिक कार्य संचालन में लिखे गये लेख भी नमूना लेख के रुप में लिये जाते हैं। यथासम्भव यह लेख समकालीन होने चाहियें तथा इनमें विवादित लेख के शब्द/शब्दों के समूह अधिक से अधिक संख्या में विद्यमान होने चाहियें। दैनिक कार्य संचालन में लेखक को यह जानकारी नहीं होती है कि भविष्य में उसकी लिखावट विवादग्रस्त प्रलेखों से मिलान के लिये प्रयोग की जायेगी। इस प्रकार के लेख बिना किसी मानसिक दबाव के लिखे गये होते हैं तथा लेखक की लेखन विशिष्टताओं का अपेक्षाकृत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लेखों को मिलान हेतु भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि न्यायालय में इनकी सत्यता स्थापित की जा सके।

कभी कभी दैनिक कार्य संचालन में लिखे गये लेखों में विवादित लेख के समान शब्द या शब्दों के समूह विद्यमान नहीं होते हैं अथवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संदिग्ध व्यक्तियों से आवश्यकतानुसार वांछित शब्द/शब्दों के समूह को सम्मिलित करते हुये निवेदित नमूना लेख प्राप्त किये जाने चाहियें ताकि उक्त कमी पूरी हो सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रलेख परीक्षण हेतु दोनों ही प्रकार के नमूना लेख मिलान के लिये आवश्यक हैं तथा यथासंभव दोनों प्रकार के नमूना लेख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि नमूना लेख समुचित न होंगे अथवा उनकी मात्रा काफी कम होगी तो लेखक की लेखन विशिष्टताओं का ठी प्रकार से अध्ययन नही हो पाने के कारण विवादित लेखों से सन्तोषजनक मिलान संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में निश्चित मत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

यदि लेखों में पहले से विद्यमान अक्षरों पर फिर से स्याही चलाई गई हो तो इस प्रकार के लिप्त लेखन (ओवरराइटिंग) के कारण अक्षरों की वास्तविक लाइन क्वालिटी का अध्ययन करना संभव नहीं होता है । इन मामलों में मत निर्धारित करना अत्यन्त कठिन होता है ।

प्रलेखों के फोटोस्टेट अथवा जीरोक्स में अक्षरों की लाइन क्वालिटी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाती है । अतः छाया प्रति पर निश्चित मत निर्धारित करने में अत्यन्त कठिनाई होती है । किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में यदि लम्बा लेख हो तो छाया प्रति से अक्षरों की बनावट आदि के आधार पर मत निर्धारित करने का प्रयास किया जा सकता है किन्तु यथासंभव छाया प्रति का प्रयोग प्रलेख परीक्षण हेतु नहीं करना चाहिये ।

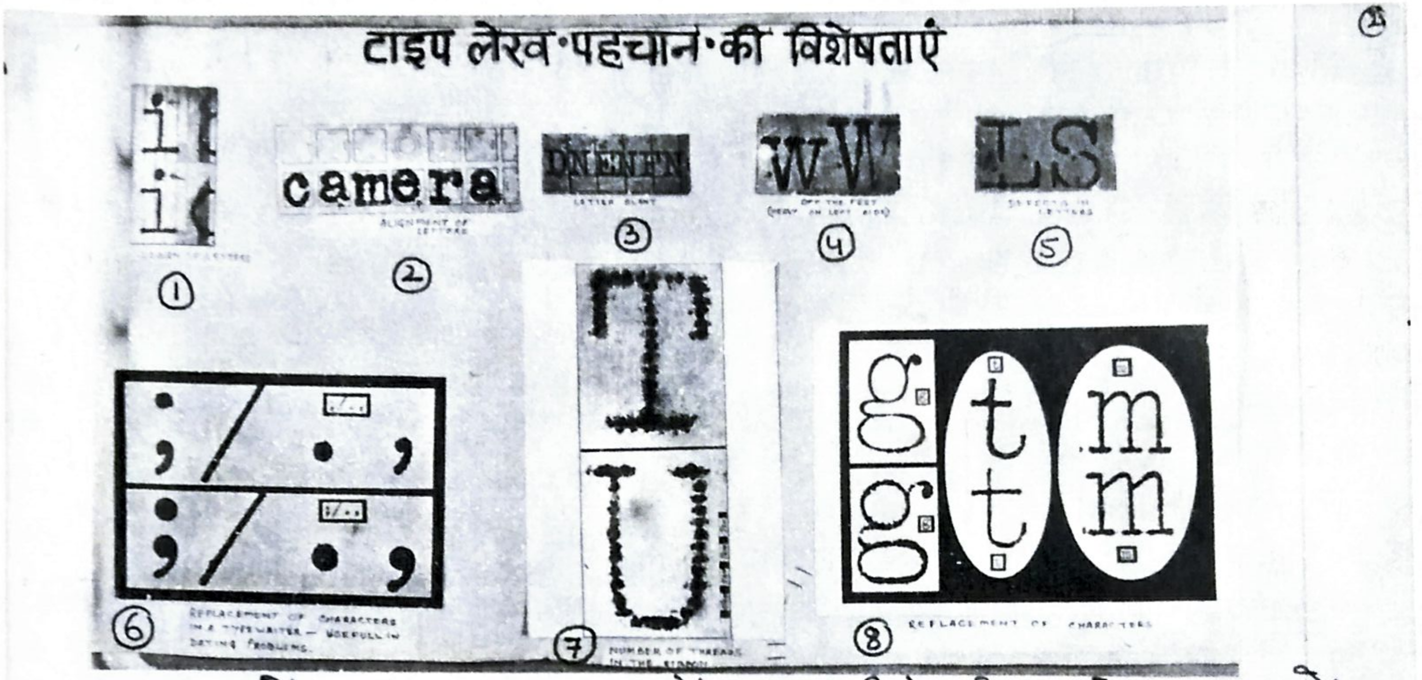

1,6,8: अक्षरों का डिजाइन ; 2: अक्षरों का ऊपर की ओर खिसका होना ; 3: अक्षरों का तिरछापन ; 4: अक्षरों का एक तरफ गहरा, दूसरी तरफ हल्का टाइप होना ; 5: अक्षरों की टूट घिसना इत्यादि ; 7: टाइप रिबन में धागों (ताना बाना) की संख्या के माध्यम से टाइप लेख की पहचान ।

टंकित लेखों का परीक्षण :-

नैत्यक कार्यो के दौरान, समय के साथ टाइपराइटर के पुर्जे एवं टाइप फेस में कुछ टूट फूट होती रहती है, एवं वे घिसते रहते हैं । इनके कारण टाइपराइटर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं । उदाहरणतयाः अक्षर कुछ स्थानों से घिस जाते हैं । अक्षरों के बीच की दूरी घट / बढ़ जाती है ; कुछ अक्षर तिरछे छपने लगते हैं, इत्यादि । यह सभी दोष उक्त टाहपराइटर की व्यक्तिगत विशिष्टतायें बन जाते हैं एवं तदनुसार उस टाइपराइटर के द्वारा टाइप किये गये लेख में कुछ अक्षरों की आकृति उसी मेक एवं माडल की अन्य मशीनों द्वारा टाहप किये गये अक्षरों की आकृति से भिन्न हो जाती है । विवादित टंकित लेखों के सम्बन्ध में टंकित अक्षरों का आकार प्रकार, अक्षरों के बीच की दूरी, अक्षरों का पंक्ति से ऊपर अथवा नीचे होना, बायीं अथवा दाहिनी तरफ खिसक जाना, अक्षरों का एक तरफ हल्का और दूसरी तरफ गहरा छपना, अक्षरों की दोहरी छपाई, अक्षरों का तिरछापन, एवं टाइप फ़ेस में टूट फूट के प्रभाव आदि का परीक्षण किया जाता है ।

टंकित लेख का नमूना :-

यह जानने के लिये कि विवादित टंकित लेख संदिग्ध टाइपराइटर पर टाइप किया गया है अथवा नहीं, मिलान हेतु प्रश्नगत मशीन पर टंकित नमूना लेख लिये जाते हैं ।

हस्तलेख के नमूने की भांति टंकित लेख नमूना के भी दो वर्ग होते हैं :-

१. संदिग्ध टाइपराइटर से प्राप्त टंकित लेख, २. उक्त टाइपराइटर से दैनिक कार्य संचालन में टाइप किये गये लेख ।

टंकित लेख के नमूने लेने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये ।

१. संदिग्ध टाइपराइटर से नमूना लेने के लिये विवादास्पद प्रलेख का पूरा मैटर यथासंभव उसी प्रकार के कागज एवं रिबन का प्रयोग कर टाइप करना चाहिये जैसा कि विवादित प्रलेख में किया गया हो । यदि विवादित लेख गहरी स्याही के रिबन से टाइप किया गया हो तो तदनुसार नमूना लेने के अतिरिक्त हल्की स्याही के रिबन से भी टाइप किया हुआ नमूना लेना चाहिये क्योंकि हल्की स्याही के रिबन से छपे लेख में अक्षरों की ''आउट लाइन'' अधिक साफ होती है ।

२. टंकित लेख का नमूना, हल्के मध्यम एवं भारी, तीनों स्पर्श से लेना अधिक उपयुक्त होता है । अगर विवादित टंकित लेख कार्बन प्रति हो तो नमूने की तीन प्रतियां कार्बन पेपर का इस्तेमाल कर बनानी चाहिये ।

३. सामान्यतया टंकित नमूना लेते समय मशीन में कम से कम दो पन्ने अवश्य लगाने चाहिये ताकि टाइप करते समय कागज जगह-जगह पर कटे नहीं, किन्तु यदि विवादित लेख में अक्षर कटे हुये या खरोंच जैसा हो तो एक ही कागज लगाकर टाइप करना चाहिये ।

४. यदि संदिग्ध टाइपराइटर काफी समय से प्रयोग में नहीं लाया गया हो या उसके टाइप फेस स्याही, धूल आदि से भर गये हों तो पहले नमूना की एक प्रति उसी हालत में टाइप कर लेना चाहिये । तत्पश्चात सफाई कर उपर्युक्तानुसार अन्य प्रतियां टाइप करना चाहिये ।

५. टाइप करने वाले व्यक्ति का नाम, दिनांक, मशीन नम्बर व मेक, टाइप फेस को साफ किया गया है अथवा नहीं, इत्यादि नमूना लेख की प्रत्येक प्रति पर अंकित कर देना चाहिये ।

उपरोक्तानुसार कम से कम ५-६ टंकित नमूना लेख लेना चाहिये ।

६. संदिग्ध टाइपराइटर के दैनिक कार्य संचालन में टाइप किये गये समकालीन ५-६ नमूने लेने चाहिये । जैसा कि विदित है अक्षरों की पारस्परिक स्थिति शब्दों में उनके स्थान पर भी निर्भर करती है । अतः दैनिक कार्य संचालन के दौरान टाइप किये गये नमूना लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इनमें विवादित टंकित लेख में विद्यमान शब्द / शब्दों का समूह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो ।

छपे हुये लेखों (प्रिन्टेड मैटर) का परीक्षण

छपे हुये लेख मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं :-

१. लेटर प्रेस :

इस प्रक्रिया में उभरे हुये अक्षरों के ब्लाक की सहायता से कागज पर सीधे दबाव डालकर छपाई की जाती है । दबाव के कारण कागज के पीछे की सतह पर उभरे हुये निशान आ जाते हैं ।

२. ऑफ-सेट :

इसमें प्रिन्टिंग ब्लाक से कागज पर सीधे छपाई न कर छपाई एक रोलर के ऊपर लगी पतली रबड़ की सीट पर की जाती है । इस रबड़ की सीट से छपाई कागज पर उतारी जाती है । इस तरह की छपाई साफ सुथरी एवं प्लेन होती है । कागज के पीछे कोई उभरे हुये इम्प्रेशन नहीं आते हैं । अच्छी प्रकार की छपाई इसी प्रक्रिया से की जाती है ।

३. इन्टेग्लियो :

इस प्रक्रिया में प्रिन्टिंग ब्लाक, धातु की चद्दर होती है, जिसमें छपने वाले लेख आदि गहरे खुदे हुये होते हैं । छापने के लिये गाढ़ी स्याही (पेस्ट की तरह) का प्रयोग किया जाता है, एवं काफी दबाव की सहायता से लेख को कागज पर छापा / उतारा जाता है । इस प्रकार छपे हुए लेख हाथ की उंगुलियों से छूने पर हल्के उभरे हुये महसूस होते हैं । यह प्रक्रिया काफी खर्चीली होती है । करेन्सी नोट इत्यादि छापने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है ।

छपे हुये लेखों (प्रिन्टेड मैटर) के मिलान हेतु संदिग्ध

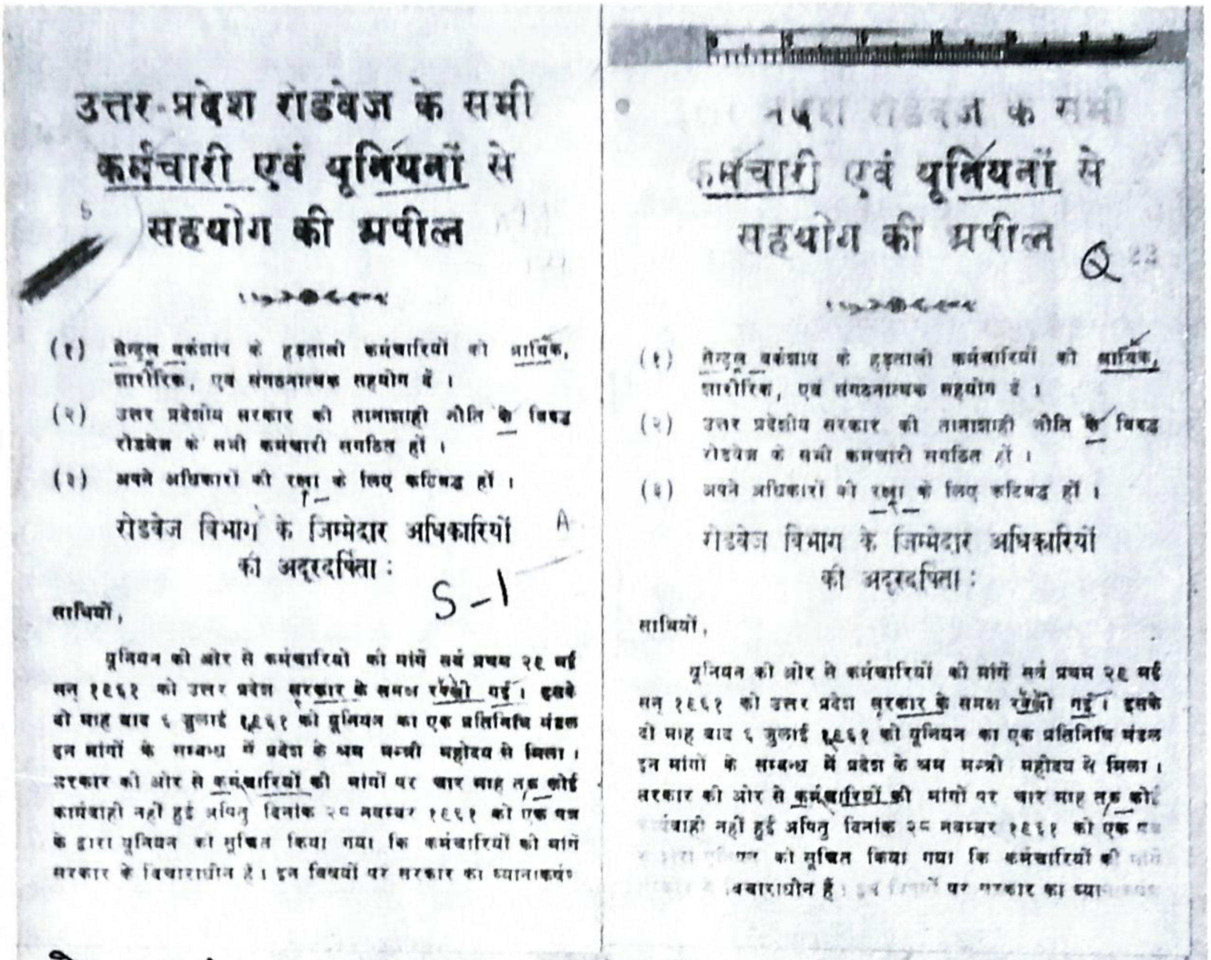
उत्तर-प्रदेश रोडवेज के सभी कर्मचारी एवं यूनियनों से सहयोग की अपील

(१) सेन्ट्रल वर्कशाप के हड़ताली कर्मचारियों को आर्थिक, शारीरिक, एवं संगठनात्मक सहयोग दें।

(२) उत्तर प्रदेशीय सरकार की तानाशाही नीति के विरुद्ध रोडवेज के सभी कर्मचारी संगठित हों।

(३) अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों।

रोडवेज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अदूरदर्शिता :

साथियों,

यूनियन की ओर से कर्मचारियों की मांगें सर्व प्रथम २९ मई सन् १९६१ को उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रक्खी गई। इसके दो माह बाद ६ जुलाई १९६१ को यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल इन मांगों के सम्बन्ध में प्रदेश के श्रम मन्त्री महोदय से मिला। सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर चार माह तक कोई कार्यवाही नहीं हुई अपितु दिनांक २८ नवम्बर १९६१ को एक पत्र के द्वारा यूनियन को सूचित किया गया कि कर्मचारियों की मांगें सरकार के विचाराधीन है। इन विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण

छपे हुए लेख का मिलान : दाहिनी ओर का विवादित पोस्टर उसी प्रिन्टिंग ब्लाक से छापा गया है जिस ब्लाक से बाईं ओर दर्शाया गया नमूना लेख छापा गया है। महत्वपूर्ण समानताओं वाले शब्दों को रेखांकित किया गया है।

प्रेस में छपे हुये नमूनों की आवश्यकता है। मिलान के लिये सबसे उपयुक्त नमूना संदिग्ध प्रेस में ओरिजनल ब्लाक से छपे हुये मैटर होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। यदि ओरिजनल ब्लाक न मिल सके तो संदिग्ध प्रेस से विवादित छपाई के पूर्व में छपे नमूने एकत्र करने चाहियें।

टंकित लेख के नमूने की भांति छपे हुये लेख के भी ५-६ नमूने लेने चाहियें और यह भी ध्यान देना चाहिये कि विवादित छपे हुये लेख में विद्यमान शब्द / शब्दों के समूह नमूने में भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हों।

रबड़ की मोहर का परीक्षण :

जाली प्रलेखों में लगी मोहर का परीक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। जालसाजी में या तो असली मोहर चुराकर लगाई जाती है, या उसी प्रकार की दूसरी मोहर प्रयोग में लाई जाती है। विवादित मोहर के परीक्षण में मोहर की सम्पूर्ण छाप का आकार एवं रुपरेखा, विभिन्न अक्षरों / लेख का आकार एवं रुपरेखा, किन्हीं दो अक्षरों, दो शब्दों एवं दो लाइनों के बीच की दूरी, विभिन्न लेखों / चिन्हों / निशानों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति, वर्तनी (स्पैलिंग) की त्रुटियों, एवं अक्षरों, निशानों तथा चिन्हों के घिसने अथवा कहीं कहीं टूट जाने के प्रभाव आदि बिन्दुओं का विश्लेषण किया जाता है।

परीक्षण हेतु संदिग्ध मोहर को ही भेजना चाहिये, ताकि विशेषज्ञ द्वारा वांछित दबाव के साथ मिलान हेतु मोहर की छाप ली जा सके।

जालसाज़ी :

धोखाधड़ी की नीयत से झूठा दस्तावेज़ तैयार करने अथवा किसी मूल दस्तावेज़ में परिवर्तन/परिवर्धन कर हेराफेरी करने को जालसाज़ी कहते हैं ।

आमतौर पर जालसाज़ी निम्न प्रकार से की जाती है :-

१. **लिखावट को जानबूझकर बिगाड़ कर लिखना** - प्रायः जालसाजी करने वाले अपनी लिखावट जानबूझकर बिगाड़ देते हैं, ताकि भविष्य में वे इन्कार कर सकें कि वह लेख उनके द्वारा लिखा गया है ।

२. **अन्य किसी के लेख/हस्ताक्षर की नकल करना** - इस प्रकार की जालसाज़ी करने वाले असली लेख/हस्ताक्षर को या तो अपने सामने रखते हैं या बार-बार अभ्यास से उसे अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, एवं उसकी नकल करते हैं । इस प्रकार की जालसाज़ी में जालसाज़ को न केवल अपने स्वाभाविक लेख की विशिष्टताओं को छिपाने का प्रयास करना पड़ता है बल्कि जिस व्यक्ति के लेख की नकल की जाती है, उसकी लेखन विशिष्टताओं को भी लेख में सम्मिलित करने की कोशिश करनी पड़ती है । ऐसी स्थिति में नकल करने वाला व्यक्ति उक्त दोनों में से किसी भी उद्देश्य में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाता है । इस प्रकार का लेख धीरे-धीरे लिखा जाता है जिसमें कई बार पैन को रोकने, एवं हिचकिचाहट आदि से लेखन शैली के बिगड़ने के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं ।

३. **अनुरेखण (ट्रेसिंग)** - इस विधि में जालसाज़ द्वारा असली हस्ताक्षर/लेख के ऊपर एक सादा कागज रखकर तथा खिड़की के शीशे, फोटोग्राफर्स री-टचिंग ग्लास, ट्रान्समीटेड लाइट बाक्स, (चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त एक्स-रे फिल्म देखने वाला प्रकाश स्रोत) अथवा अन्य किसी व्यवस्था द्वारा नीचे से प्रकाशित कर हस्ताक्षर/लेख की छाया पर पैन/पेन्सिल से धीरे-धीरे ट्रेसिंग की जाती है ।

अनुरेखण (ट्रेसिंग) विधि द्वारा लिखे लेख के लेखक के बारे में कोई मत व्यक्त करना संभव नहीं होता क्योंकि ऐसे लेख में लेखक की अपनी लेखन विशिष्टतायें नहीं आतीं ।

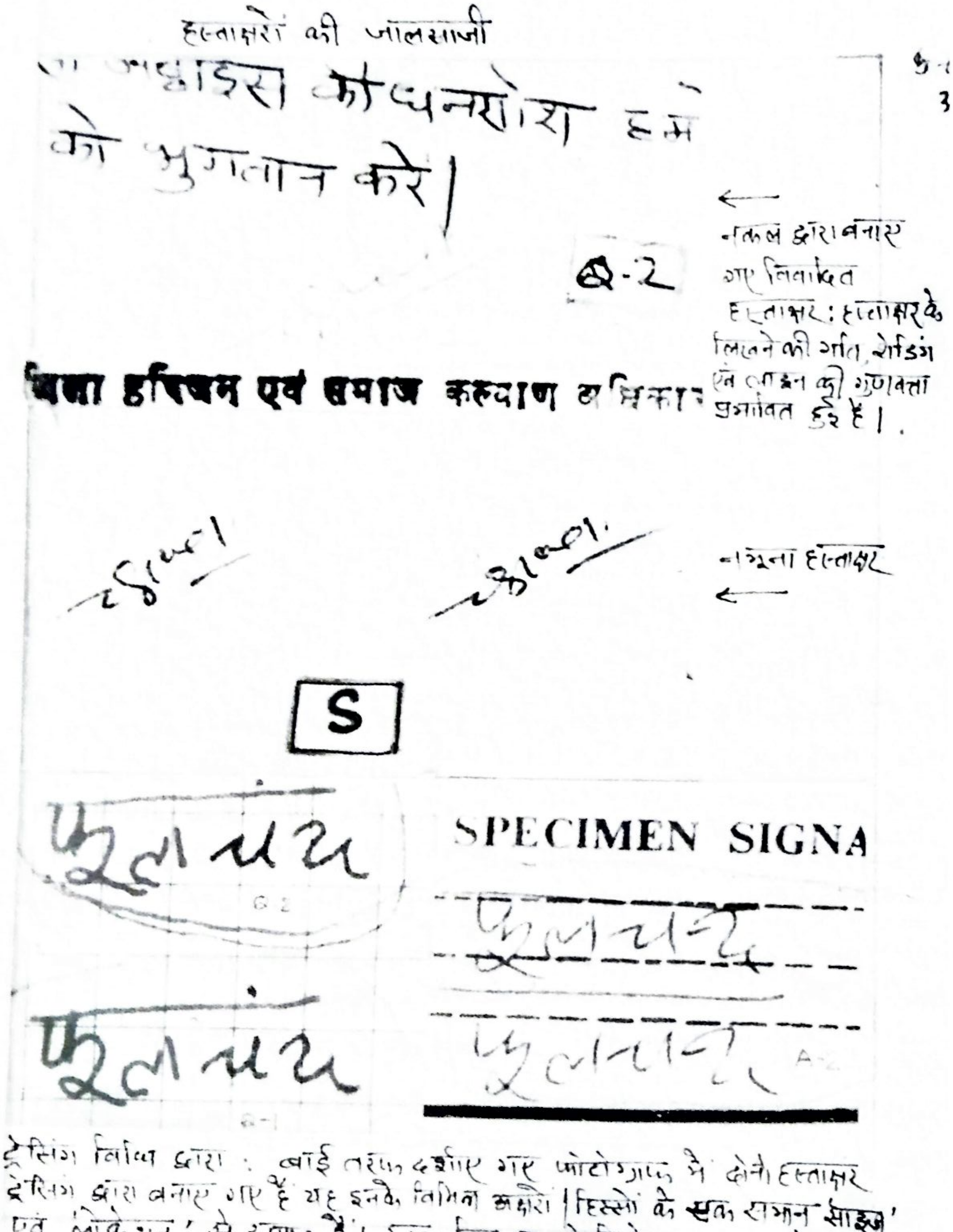

ट्रेसिंग विधि द्वारा : बाईं तरफ दर्शाए गए फोटोग्राफ में दोनों हस्ताक्षर ट्रेसिंग द्वारा बनाए गए हैं यह इनके विभिन्न अक्षरों/हिस्सों के एक समान 'साइज' एवं 'लोकेशन' से स्पष्ट है। स्वाभाविक रूप से लिखे गए हस्ताक्षरों में प्राकृतिक रूपान्तर का होना अनिवार्य है जैसा कि दाईं ओर के चित्र से विदित होता है।

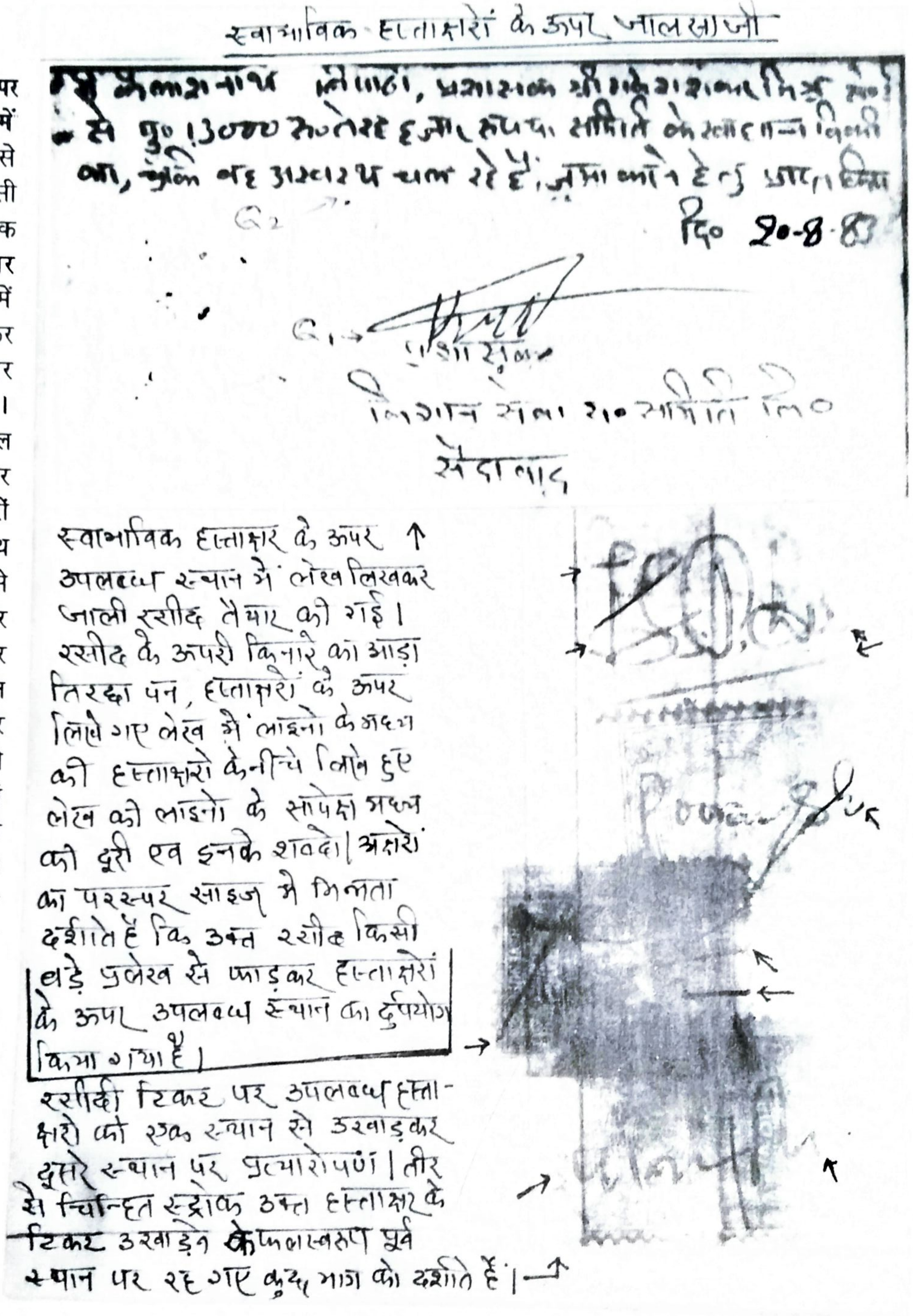

४. हस्ताक्षर के ऊपर खाली स्थान में जालसाज़ी - ऐसे मामले में किसी व्यक्ति के स्वाभाविक हस्ताक्षर के ऊपर खाली स्थान में मनचाहा लेख लिखकर जाली दस्तावेज़ तैयार किये जाते हैं । कभी-कभी केवल रसीदी टिकट पर किये गये हस्ताक्षरों को टिकट के साथ उठाकर एवं उसे अन्यत्र चिपकाकर जाली दस्तावेज़ तैयार किये जाते हैं । इन मामलों में हस्ताक्षर के ऊपर लिखे गये लेखों में लाइनों एवं शब्दों के बीच की दूरी इत्यादि के अध्ययन से अथवा रसीदी टिकट के किनारों पर लेख के अध्ययन से जालसाज़ी का पता किया जाता है। कभी-कभी बढ़ाए गए लेख की रेखाएं (स्ट्रोक्स) पहले से मौजूद हस्ताक्षर पर आ जाते हैं । इनके परीक्षण हेतु 'स्कैनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप' नामक आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है ।

५. अन्य फर्जी हस्ताक्षर -

कुछ जालसाज़ किसी अन्य के हस्ताक्षर नकल न कर अपनी लिखावट में ही नाम लिख देते हैं, या फिर अपने स्वाभाविक लेख में कोई अज्ञात रुपरेखा के हस्ताक्षर बना देते हैं ।

लिखावट के क्रम का निर्धारण

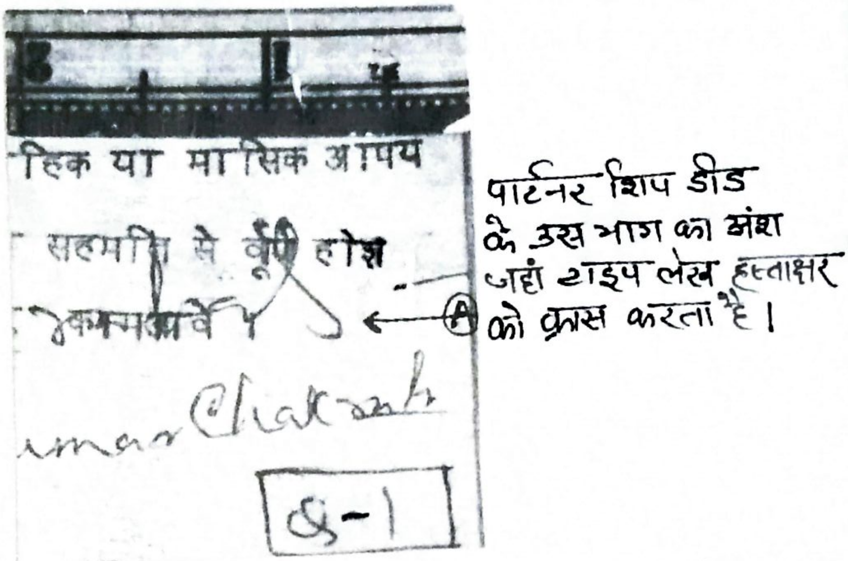

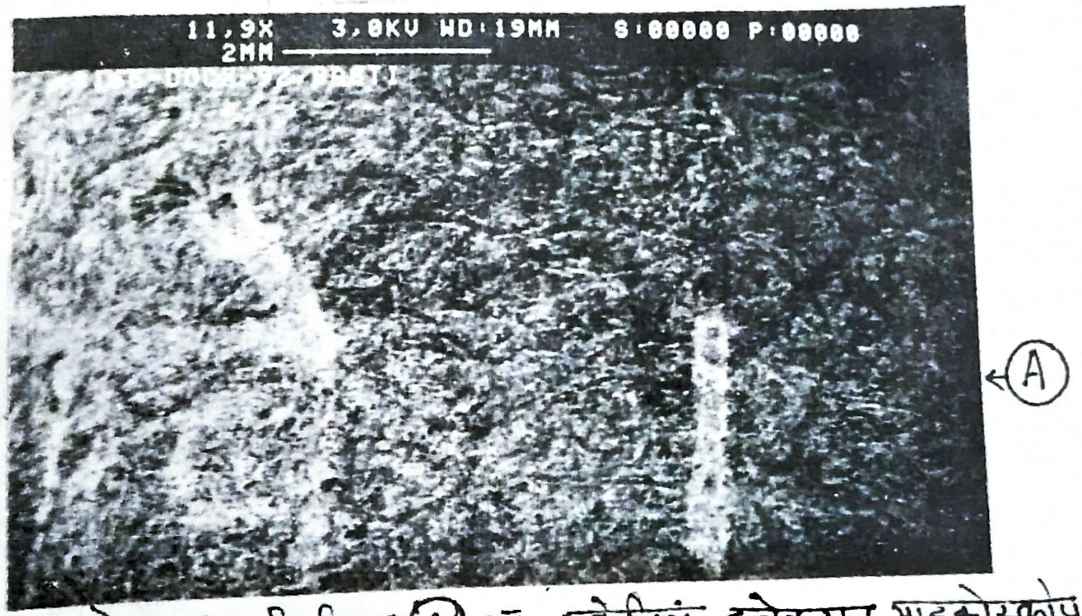

उपरोक्त अंश चिन्हित (A) का स्केनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया विस्तृत चित्र। चित्र में टाइप लेख हस्ताक्षर की रेखाओं के स्पष्टतया ऊपर दृष्टिगोचर है।

मिटाये गये (विलोपित) लेख :

कभी कभी महत्वपूर्ण प्रलेखों में मूल लेख के कुछ अंश को मिटाकर अन्य लेख लिख दिया जाता है जैसे चैकों, रसीदों एवं वसीयतनामों आदि के मामलों में। प्रलेखों में यदि किसी भी स्थान पर अनावश्यक पीलापन दृष्टिगोचर होता है, तो इसे संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिये तथा इसका गहन परीक्षण किया जाना चाहिए।

लेखों को मुख्यतया दो तरीकों से मिटाया जाता है :-

१. रसायनों द्वारा,
२. रबड़ अथवा ब्लैड आदि से रगड़ /खुरच कर।

१. रसायनों द्वारा मिटाये गये लेख - रसायनों द्वारा लेख मिटाने के लिये जहां रसायनों का प्रयोग किया जाता है,। उस स्थान पर कुछ समय बाद कागज का रंग पीला पड़ने लगता है। ऐसे प्रलेखों का परीक्षण अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से किया जाता है। यदि कागज के सामान्य फ्लोरेसेंस (प्रतिदीप्ति) के अतिरिक्त कोई फ्लोरेसेन्स दिखता है, तो कागज पर किसी अन्य रसायन का होना सिद्ध होता है। इस विधि से प्रायः मूल लेख को भी पढ़ा जा सकता है।

२. खुरच कर अथवा रगड़ कर मिटाये गये लेख - इस प्रकार मिटाये गये लेखों के स्थान पर कागज खुरदरा सा हो जाता है, एवं कुछ पतला भी हो जाता है। इनकी उपस्थिति पारदर्शी प्रकाश (ट्रान्समीटेड लाइट) की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अल्ट्रावायलेट एवं इन्फ्रारेड किरणें भी कभी कभी मूल लेख के पुनरुद्धार में सहायक होती हैं।

मूल लेख में परिवर्तन/परिवर्धन

कभी कभी मूल लेख में एक वाक्य, शब्द, अक्षर

मिटाए गए लेख : लाटरी टिकट से मूल नम्बरों को रसायन द्वारा मिटा कर पुरस्कार वाली लाटरी टिकट का नम्बर छाप दिया गया। मिटाए गए मूल नम्बर चित्र (B) में स्पष्ट है।

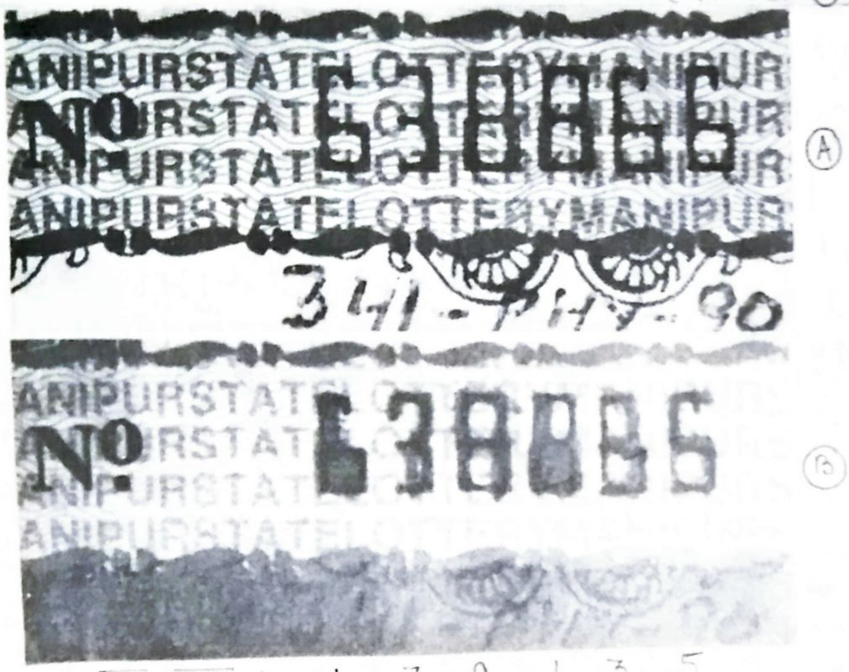

मूल नम्बर → 1 7 9 1 3 5

अथवा अंक के जोड़ देने से लेख का संपूर्ण अर्थ ही बदल जाता है । यदि किसी प्रलेख में कोई लेख अथवा अंक जोड़े जाते हैं, तो बढ़ाए गए लेख के अक्षरों की लाइनों की गुणवत्ता, लिखने की गति, लेखनी का दबाव एवं शेडिंग इत्यादि मूल लेख से भिन्न हो जाती है । जोड़े गये लेख धीमी गति से सावधानीपूर्वक लिखे जाते हैं । दो लाइनों के बीच अथवा मार्जिन में लिखे लेखों को भी संदेह की दृष्टि से देखना चाहिये ।

इस प्रकार के मामलों के परीक्षण में समूचे लेख की एकरुपता का अध्ययन किया जाता है ।

कभी कभी एक से अधिक पन्नों के प्रलेख में कोई पन्ना हटाकर उसके स्थान पर लेख के विषय वस्तु को बदल कर उसी प्रकार के कागज का दूसरा पन्ना लगाया जाता है । ऐसे मामलों में पन्नों के कागज का मिलान प्रलेख के अन्य पन्नों से किया जाता है । इसके लिये वाटर मार्क्स, वायर मार्क्स, कागज के फ्लोरेसेंस एवं फाइबर्स आदि का परीक्षण किया जाता है ।

काटे हुये / छिपाये हुये लेख (अभिलेपन)

कुछ मामलों में लेख को ऊपर से काटकर या उसके

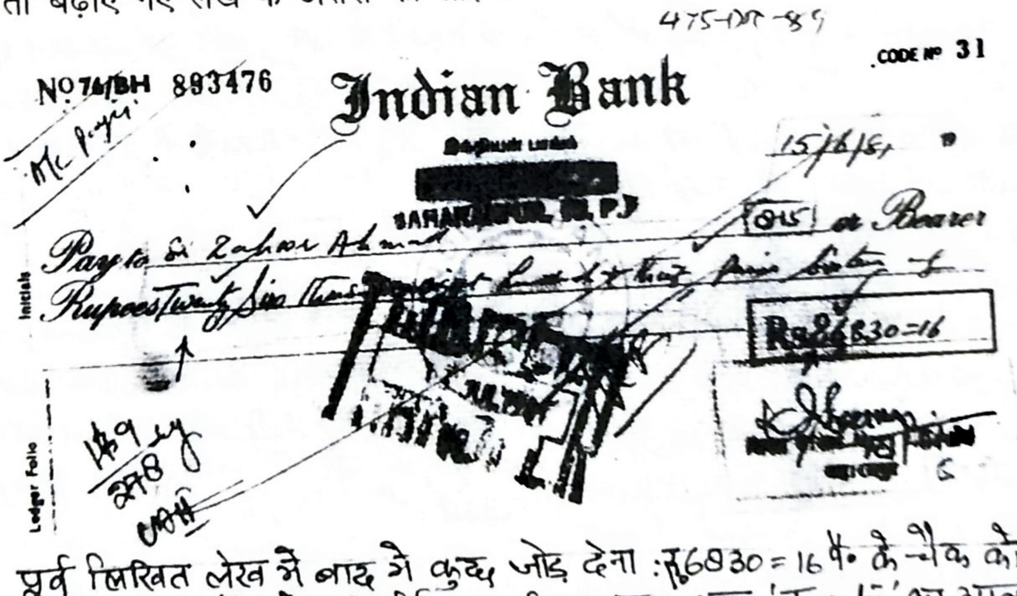

पूर्व लिखित लेख में बाद में कुछ जोड़ देना : रु 6830=16 पै. के चैक को रु० 26830=16 पै० में परिवर्तित कर दिया गया। शब्द 'Twenty' का उपलब्ध स्थान में सिकोड़ कर लिखा जाना एवं अंक '2' का आकार तथा धीमी गति से लिखा दृष्टिगोचर होना उपरोक्त का साक्ष्य है।

ऊपर स्याही गिराकर अथवा अन्य उपायों द्वारा छिपा दिया जाता है । इस प्रकार छिपे हुये मूल लेख को पढ़ने के लिये आमतौर पर इन्फ्रारेड किरणों एवं रासायनिक विधियों आदि का प्रयोग किया जाता है ।

पेन के दबाव से नीचे के कागज पर आये लेख के इम्प्रेशन

गुमनाम पत्र आदि के मामलों में राइटिंग पैड पर आये मूल लेख के इम्प्रेशन के परीक्षण से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है । इनका परीक्षण साधारणतया प्रकाश की तिरछी किरणों में फोटोग्राफी करके किया जाता है । इस प्रकार के मामलों के परीक्षण हेतु 'इल्क्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन' विधि का भी प्रयोग करते हैं, जिसके लिये विशेष प्रकार के उपकरण विकसित किये गये हैं । इस उपकरण से सम्पूर्ण इम्प्रेशन एक पालीथीन की शीट पर विकसित किये जाते हैं ।

अदश्य (गुप्त) लेख

रंगहीन, द्रवों, रसायनों, अथवा फलों एवं सब्जियों के रस, इत्यादि की सहायता से ऐसे लेख लिखे जाते हैं जो सामान्य स्थिति में आंख से पढ़ने में नहीं आते । इन्हें कभी-कभी टेबिल लैम्प की सहायता से विभिन्न दिशाओं एवं कोणों से प्रकाशित कर पढ़ा जा सकता है । प्रायः अल्ट्रावायलेट प्रकाश में ऐसे लेख उजागर हो जाते हैं । कुछ मामलों में रसायनिक परीक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है ।

जले हुये प्रलेख

जले हुये प्रलेख अत्यन्त नाजुक होते हैं, एवं पकड़ते ही टूट जाते हैं । अतः इन्हें उठाना एवं इनका परीक्षण करना कठिन होता है । इन्हें उठाने के पूर्व इन पर विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है । इन रसायनों में पालीविनायल एसीटेट प्रमुख है । एसीटोन में पालीविनायल एसीटेट का तीन प्रतिशत घोल जले हुये प्रलेखों पर धीरी-धीरे, बूंद-बूंद करके अथवा स्प्रे करके, छिड़का जाता है । इससे जले हुये कागज की भंगुरता कम हो जाती है । इस प्रकार स्थिर किये हुये प्रलेख को दफ्ती के दो टुकड़ों की सहायता से सावधानीपूर्वक उठाकर किसी डिब्बे में रखते हैं । जले हुये कागज के चारों तरफ रुई रखकर डिब्बे को सावधानीपूर्वक सील मुहर कर परीक्षण हेतु विशेष वाहक द्वारा भेजना चाहिये ।

जले हुये प्रलेखों को उठाने में कठिनाई होने पर घटनास्थल पर ही इनके परीक्षण का प्रयास करना चाहिये । यह परीक्षण टेबुल लैम्प के प्रकाश में विभिन्न दिशाओं एवं कोणों से प्रकाशित करके किया जाता है । प्रयोगशाला में फोटोग्राफी की विशिष्ट तकनीक द्वारा, एवं विभिन्न रसायन स्प्रे कर जले कागजों के मूल लेख को पढ़ने का प्रयास किया जाता है ।

करेन्सी नोट, डाक टिकट व अन्य प्रकार के सिक्योरिटी प्रलेखों का परीक्षण

करेन्सी नोट, डाक टिकट, रेवेन्यू टिकट, कोर्ट फीस स्टेम्प्स इत्यादि महत्वपूर्ण सरकारी प्रलेखों की छपाई सिक्योरिटी प्रेस, नासिक एवं बैंक नोट प्रैस देवास में होती है । इनके परीक्षण की व्यवस्था उक्त संस्थानों के फोर्जरी डिटेक्शन सेल में है । इस प्रकार के विवादित प्रलेखों का परीक्षण उक्त संस्थानों में, इसके लिये निर्धारित फीस जमा करके कराया जा सकता है ।

गुमनाम पत्र

गुमनाम पत्रों के मामलों में पत्र एवं लिफाफे की विस्तृत जांच कर डाकघर की मुहर की सहायता से पत्र के निर्गमन की तिथि, डाकघर, एवं प्राप्ति की तिथि आदि का पता लगाया जाता है, तथा पत्र के लेख एवं उसमें लिखित संदेश के लिखने के ढंग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है । इनके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार कर मिलान हेतु उक्त व्यक्तियों के नमूना लेख प्राप्त किये जाते हैं ।

प्रलेखों की सुरक्षा एवं रखरखाव

विवादास्पद प्रलेखों की सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि साक्ष्य से सम्बन्धित कोई भी सूत्र नष्ट न हो पाये । इस दृष्टिकोण से विवादास्पद प्रलेखों के बारे में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहियें :-

१. प्रलेखों को बार-बार स्पर्श नहीं करना चाहिये तथा उन्हें आरम्भ से ही दो सादे कागजों के बीच अथवा पालीथीन के लिफाफे में रखना चाहिये ।

२. अधिक तेज धूप एवं सीलन के प्रभाव से प्रलेखों को बचाना चाहिये । इन्हें जेब में रखकर नहीं ले जाना चाहिये क्योंकि वे गर्मी एवं पसीने से प्रभावित हो सकते हैं ।

३. प्रलेखों की किसी प्रकार की कटाई छंटाई नहीं करनी चाहिये ।

४. प्रलेखों को बार-बार खोलना एवं मोड़ना नहीं चाहिये तथा मूल हालत में ही मुड़े हुये रख देना चाहिये, नये मोड़ नहीं बनाने चाहियें ।

५. प्रलेख के पन्नों को एक साथ बांधने के लिये आलपिन, टैग, स्टैप्लर आदि का प्रयोग नही करना चाहिये और न ही पंच द्वारा छेद करना चाहिये । आलपिन, स्टैप्लर एवं पंच के निशान भी कभी-कभी अत्यन्त महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं अतः विवादित प्रलेखों में इस प्रकार के निशान उन्हें प्राप्त करने के पश्चात कभी नहीं बनाना चाहिये । पन्नों को एक साथ रखने के लिये पेपर क्लिप का प्रयोग किया जा सकता है ।

६. प्रलेख में लिखावट की विभिन्न विशिष्टताओं या अन्य किन्ही आकृतियों / चिन्हों आदि को पेन / पेन्सिल से रेखांकित नही करना चाहिये ।

-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ